प्रपत्र-2

पत्रांक–2ब०/ना०नि०–02–02/2019 - 283- /न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 24/03/2020

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु कुल 22 नालों के निर्माण हेतु कुल ₹4923.39200 लाख (उनचास करोड़ तेईस लाख उनचालीस हजार दो सौ रु०) मात्र की अधियाचना के विरूद्ध तत्काल ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना के पत्रांक– 03702, दिनांक– 23.03.2020 द्वारा उल्लेख किया गया है कि पटना नगर निगम क्षेत्रानतर्गत अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण जल–जमाव से निजात पाने हेतु निम्नांकित विभिन्न स्थलों पर पक्का नाला निर्माण करने की आवश्यकता है। सभी योजनाओं की तकनीकी अनुमोदन प्रदत्त है। प्रशासनिक स्वीकृति पटना नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति/निगम बोर्ड द्वारा प्रदान की जा चुकी है। सभी योजनाओं की निविदा प्रकाशित की जा चुकी है। उक्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन एवं तीव्र गति से निष्पादन करने हेतु कुल ₹4923.39200 लाख (उनचास करोड़ तेईस लाख उनचालीस हजार दो सौ रु०) मात्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त वर्णित स्थिति तथा नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ– 2 में वर्णित योजनाओं के लिए स्तम्भ– 4 में अंकित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के विरूद्ध स्तम्भ– 5 के अनुरूप कुल ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	2	3	4	5	6
1	वार्ड सं०– 01 में पोलसन रोड अशोक राजपथ से घुड़दौड़ रोड (अशियाना–दीघा पथ) तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	1088.06200	1088.06200	349.40100	738.66100
2	वार्ड सं०– 01 अंतर्गत निराला नगर में रामधीन राय के घर से घुड़दौड़ में डा०सी०पी० शुक्ला के घर तक आर०सी०सी० नाला एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	186.02100	186.02100	55.80630	130.21470

F:\Kamlesh\Section - 2 (2019-20)\GO 2019-20\GO_ Nagarik subidha.doc

3	वार्ड सं०– 01 अंतर्गत निराला नगर ज्ञानदीप स्कूल के बगल में ज्ञान निकेतन स्कूल से घुड़दौड़ रोड में एस०एस०बी० कैम्प तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	197.81400	197.81400	59.34420	138.46980
4	वार्ड सं०– 01 अंतर्गत दीघा अशियाना पथ में संत जोसेफ कान्भेन्ट कार्यालय से घुड़दौड़ रोड चौराहा तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	197.05000	197.05000	59.11500	137.93500
5	वार्ड सं०– 01 अंतर्गत निराला नगर में एस०के० ललित, आ०एन०पी० सिंह, बी०डी०ओ० साहब, डॉ० हेमन्त कुमार, विजय श्रीवास्तव, अनिल कुमार के घर से अजित सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, बी०पी०सिंह चौबे जी एवं राजेन्द्र प्रसाद के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	161.06900	161.06900	48.32070	112.74830
6	Detailed Estimate for consturction of R.C.C. Drain in Daribabaz Gali to mangal Talab Via Domkhana in Ward no.- 66.	196.08500	196.08500	58.82550	137.25950
7	Detailed Estimate for consturction of R.C.C. Drain from Ramavtar to Railway Station other side of South nala Chatanki pul in word no.- 67.	219.87500	219.87500	65.96250	153.91250
8	वार्ड सं०– 47 अंतर्गत बाजार समिति केला मंडी से बकरी मंडी तक आर०सी०सी० बॉक्स नाला एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	180.26300	180.26300	54.07890	126.18410
9	वार्ड सं०– 51 अंतर्गत अशोक राजपथ स्थित पेट्रोल पम्प के निकट नेशनल ड्राई क्लिनर्स से कन्हाई चौधरी तक आर०सी०सी० बॉक्स नाला एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	145.08300	145.08300	43.52490	101.55810
10	Detailed Estimate of Consturction of P.C.C Road & R.C.C Drain in Vikash Colony to Adiwashi Colony to Biscoman Colony more to Oxyen Hospital to House of Doctor Jaiswal and Under goung Mahatma Gandhi Setu to Saidpur Nahar in ward no.- 54.	178.09900	178.09900	53.42970	124.66930
11	Detailed Estimate of Consturction of R.C.C Drain from N.H.- 30 to Mehandiganj Thakurbari in ward no. - 61.	182.72100	182.72100	54.81630	127.90470
12	Detailed Estimate of Consturction of R.C.C Drain from Both Side of Maa Shitla mandir Agamkuap mannin road in ward no. - 56.	194.86500	194.86500	58.45950	136.40550
13	Detailed Estimate of Consturction of R.C.C Drain from Badi Bagh ka pain to Main Nala via Indrailok Nagar and Anand Vihar Colony in ward No. - 56/	197.50100	197.50100	59.25030	138.25070
14	Detailed Estimate of Consturction of R.C.C Drain from Das Brother's to Apaschimi City more in ward no.- 58.	252.52300	252.52300	75.75690	176.76610
15	वार्ड सं०– 48 लोहार लेन में ऋषि जैसवाल से सैदपुर नहर तक आर०सी०सी० नाला एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	36.03000	36.03000	10.80900	25.22100
16	वार्ड सं०– 11 अंतर्गत हरनीचक से होते हुए ब्रह्मपुर मेन रोड अखाड़ा बादशाही पईन तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	157.09400	157.09400	47.12820	109.96580
17	वार्ड सं०– 03 अंतर्गत विकास बिहार कालोनी से बुद्धा बिहार होते हुए नहर पर संगीता माँझी तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण।	199.79900	199.79900	59.93970	139.85930
18	सिपारा स्थित I.C.O गेट से बाहर पुलवा तक नाला निर्माण कार्य।	193.64100	193.64100	58.09230	135.54870
19	शिव मंदिर के बाईपास मोड़ रामलखन पथ शिव मंदिर से होते हुए जीरो प्वाईट तक नाला निर्माण कार्य।	189.93600	189.93600	56.98080	132.95520
20	गीता प्रसाद रोड से होलीडे कम्युनिटी हॉल से होते हुए जलेश्वर मंदिर तक नाला निर्माण कार्य।	198.92600	198.92600	59.67780	139.24820

21	जगनपुरा गॉव स्थित प्राथमिक विद्यालय से अपना सिमेन्ट घर सिद्धी विनायक नगर होते हुए बादशाही पईन तक नाला का निर्माण कार्य।	194.56000	194.56000	58.36800	136.19200
22	करबिगहिया स्थित काली मंदिर मेन रोड से खास महल रोड, बर्फ कोठी होते हुए मीठापुर बस स्टैण्ड स्थित निर्माणधीन सम्प हाउस तक नाला निर्माण कार्य।	176.37500	176.37500	52.91250	123.46250
	कुल योग	**4923.39200**	**4923.39200**	**1500.00000**	**3423.39200**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019, पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक), पत्रांक– 1081, दिनांक– 11.12.2019 (द्वितीय अनुपूरक), पत्रांक– 331, दिनांक– 05.03.2020 (तृतीय अनुपूरक) एवं पत्रांक– 1670, दिनांक– 03.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, पटना के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. स्वीकृत कुल राशि ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0116–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड– **48-2217011910116,** विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

7. योजनाओं के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) ***योजनाओं का कार्यान्वयन पटना नगर निगम, पटना द्वारा किया जायेगा।***

(ii) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, विभाग का नाम, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) **योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(v) योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशो के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/ना०नि०–02–02/2019 के पृष्ठ सं०–.....23...../टि० पर दिनांक–..24/03/2020.. को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–.....24...../टि० पर दिनांक–..24/03/2020.. को प्राप्त है ।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–02/2019 -283- /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 24/03/2020

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।